निरीक्षण आख्या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून **के** अवधि माह जुलाई 2012 **से** माह जुलाई 2016 **तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा** श्री संदीप कुमार गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री** एफ.आर. खान, वरि. **लेखापरीक्षक द्वारा श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में** दिनांक 22.08.2016 से 26.08.2016 तक **सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनीत कुमार जौहरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अजय कुमार बहुगुणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2012 से दिनांक 21.07.2012 तक श्री आर.एस.नेगी–I, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2010 से 06/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह जुलाई 2012 से जुलाई 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा।

1. ई. सुभाष चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)
2. ई. ओ.पी. सिंह, अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)

ब. अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.	भाग-दो (अ)	भाग-दो (ब)
2012-13	43/2012-13	शून्य	01, 02

स. सतत् अनियमितताये - शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) - शून्य

य. बजटः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	614.81	535.51	-	-
2014-15	674.35	647.29	-	-
2015-16	830.32	713.73	-	-

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर1 1 : ` 9.45 करोड़ की धनराशि स्वैप योजना बन्द हो जाने के बाद भी अवरूद्ध रखा जाना एवं ` 93.86 लाख ग्राम पंचायतों के पास अवरूद्ध रहना।

शासन द्वारा संचालित स्वैप योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि पंजाब नैशनल बैंक, देहरादून में खोले गये बैंक खाता संख्या 1532010100078709 में दिनांक 11.08.2016 तक कुल ` 9.45 करोड़ की धनराशि बैंक खाता में अवशेष रखी गई है। आगे जांच में यह भी पाया गया है कि 46 ग्राम पंचायतों के पास ` 93.86 लाख की धनराशि का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया या अपूर्ण थे। विभाग द्वारा उक्त धनराशि ग्राम पंचायतों से न तो वापस प्राप्त की गयी है और न ही शासन को समर्पित की गई है। जिससे यह धनराशि विभाग एवं ग्राम पंचायतों के पास सम्प्रेक्षा तिथि 08/2016 तक बैंक खातों में पड़ी थी।

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि अवशेष राशि जमा करने की कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायतों के मामले में अवशेष राशि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण विभाग के पास अवशेष राशि एवं ग्राम पंचायतों के पास अवशेष राशि को शासन को वापस नहीं किया गया है। जबकि उक्त योजना दिसम्बर 2015 में बंद हो गई थी।

अतः ` 9.45 करोड़ की धनराशि स्वैप योजना बंद हो जाने के बाद भी अवरूद्ध रखा जाना एंव ` 93.86 लाख ग्राम पंचायतों के पास अवरूद्ध रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ब्याज की धनराशि ` 31.79 लाख शासकीय खाते में जमा न करना।

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामीणों को पीने, भोजन पकाने एवं अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त पानी आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु भारत सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को पेयजल एवं अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए समय–समय पर धनावंटन किया था। आवंटित धनराशियों को कार्यालय प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम द्वारा निम्नलिखित बैंक खातों में जमा किया गया था, जिनमें उनके सम्मुख दिये गये कॉलम में ब्याज की धनराशि प्राप्त हुई थी–

क्र.सं.	बैंक खाता	दिनांक	ब्याज की धनराशि
1	एन.आर.डब्लू.पी.ओ एवं एम.	08.09.15	21750
		05.03.16	7198
2	एन.आर.डब्लू.पी. दैवी आपदा	08.09.15	36272
		05.03.16	124343
3	एन.आर.डब्लू.पी. सहायक राशि	08.09.15	65855
		05.03.16	4545
4	एन.आर.डब्लू.पी. सहायक राशि	08.09.15	1582499
		05.03.16	1336775
योग			**31,79,237**

वित्तीय नियमानुसार किसी भी योजना के अंतर्गत खाते में रखी गयी धनराशि पर प्राप्त ब्याज को, यदि कोई विशेष आदेश ना हो तो, उसी वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर देना चाहिए। परन्तु इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ब्याज की धनराशि अब तक विभागीय खातों में ही जमा है। इस सम्बन्ध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि योजना का वर्ष 2015–16 का तुलन पत्र अभी तक तैयार नहीं किये जा सकने के कारण उपरोक्त धनराशि इकाई द्वारा शासन को समर्पित करने के लिए राज्य ज ल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित नहीं की जा सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभागीय शिथिलता के कारण तुलन पत्र समय से न तैयार किये जा सकने की वजह से ब्याज की धनराशि का समर्पण शासन को नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण ब्याज की धनराशि ` 31.79 लाख को शासन को समर्पित नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय** प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)